न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—363/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/363)

1. विजय कुमार फागीवाल पुत्र बच्छराम जी सरावगी जाति जैन फागीवाल निवासी डिग्गी मोल्ला, ब्यावर जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2023 न्यायालय सहायक कलेक्टर, ब्यावर, राजस्व वाद संख्या 370/2022 (2022/826)

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः—11.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 370/2022 (2022/826) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश ब्यावर के समक्ष बाबत घोषणा खातेदारी एवं रिकार्ड दुरूस्ती का अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया। उपरोक्त आशय का वाद प्रस्तुत होन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार से जवाब तलब किया गया तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार का प्रतिकार अथवा वितर्क प्रस्तुत नही किया गया तथा प्रकरण की अंतिम बहस सुनते हुए यह कहते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया कि उपरोक्त वसीयत में आराजीयात का उल्लेख नहीं है। इसलिए वादी खातेदार घोषित किए जाने का अधिकारी नहीं है इसलिए वादी का वाद खारिज किया जाता है और दिनांक 1.8.2023 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 370/2022 (2022/826) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को यह आश्वस्त किया गया था कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी कोई आदेश होगा सूचित कर दिया जाएगा परंतु जब अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई तो दिनांक 7.11.2023 अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो उन्होने बताया कि तुम्हारा मुकदमा खारिज हो गया है अपील करनी होगी इस पर प्रार्थी ने दिनांक 8.11.2023 को नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 8.11.2023 को प्राप्त हुई किंतु इसी दौरान विधानसभा चुनाव आ जाने से प्रार्थी अपने प्रत्याशी के समर्थन में लग गया तथा दिनांक 17.12.2023 को अजमेर आया तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर तारीख जानकारी से बिना कोई विलंब किए यह अपील प्रस्तुत कराई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि जब एक वाद वसीयतकर्ता ने वसीयतग्राहयता के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर उसमें समस्त चल व अचल संपत्ति का अंकन कर दिया चूंकि वसीयतकर्ता ने अपनी अचल संपत्ति जिसके बाबत सीमा व हुदुद बताते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वसीयतनामें में अंकन किया है जबकि खातेदारी की कृषि भूमि के बाबत सीमा व हुदुद की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह खसरा नम्बरान से ही जानी व पहचानी होती है जिसके बाबत जमाबंदी में वसीयतकर्ता का जितना हक व अधिकार है वह वसीयतग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरित हो जाता है तथा मौके का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है इसलिए उसके खसरा नम्बर अथवा हदूद लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है फिर भी अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलांट वादी का वाद निरस्त किया है। जब स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपना लगभग इकबालिया जवाब अर्थात जिसमें कृषि भूमि को अंकित किए जाने बाबत कथन किए है तो उसके पश्चात स्वीकारोक्ति मान कर वादी का वाद डिक्री किया जाना चाहिए था जिस बाबत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने भी कोई तनकीयात नहीं बनाई जिसका तात्पर्य यह हुआ कि रेस्पोडेंट ने वादी के वाद को पूर्णतः स्वीकार कर लिया ओर उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को वादी का वाद डिक्री करना चाहिए था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया। अपीलांट के पक्ष में वसीयतकर्ता द्वारा वसीयतनामा निष्पादित कर समस्त चल व अचल संपत्ति का कथन अंकित कर दिया तथा उक्त वसीयतनामे को पंजीबद्ध भी करवा दिया है तथा ऐसे पंजीबद्ध वसीयतनामे के आधार पर वाद डिक्री किया जाना चाहिए था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीबद्ध वसीयतनामे को यथावत नहीं माना बल्कि उसमें अपनी तरफ से फेरबदल करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया जो कि अधीनस्थ न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 370/2022 (2022/826) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2023 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौरानें बहस अपील में कथन किया कि तहसीलदार ब्यावर ने अपने जवाब/बिंदुवार रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/6105 दिनांक 14.10.2022 में ग्राम डूंगरखेडा पटवार हल्का नून्द्रीमेन्द्रातान की विवादित आराजीयात का जमाबंदी में अंकित विवरण व उनमें दिए गए हिस्से दर्शाए गए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय अनुसार उक्त समस्त दस्तावेजात एवं विवेचन के आधार पर पाया कि प्रकरण में जो मुख्य दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 13.7.1987 प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित आराजीयात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अभाव में वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाए जाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः ग्राम डूंगरखेडा पटवार क्षेत्र नून्द्रीमेन्द्रातान पर लाया गया वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जाना उचित समझते है। वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.7.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 2.11.2022 को तहसीलदार ब्यावर के पत्र क्रमांक/भू0अ0/22/6/05 दिनांक 14.10.2022 के क्रम में पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 18.7.2023 को वकील वादी द्वारा कथन किए

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गए कि तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट में केवल रेकार्ड की स्थिति दर्शायी गई, कोई विरोध नहीं किया है। अतः तनकी कायम किए जाने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 1.8.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर व उक्त प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2076 के खसरा नम्बर 136, 221, 251, 33, 37, 67, 77, 78, 79 कुल किता 9 रकबा 2.9663 में वादी उक्त आराजीयात में 1/72 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कहे गए कथनानुसार एक सह खातेदार श्रीमती धनोपकंवर पत्नि श्री मूलचंद जाति महाजन निवासी नयानगर ब्यावर भी चली आ रही है। जिसका उपरोक्त आराजीयात में 1/6 हक हिस्सा निहित है। स्व0 श्रीमती धनोपकंवर का स्वर्गवास दिनांक 7.5.2015 को हो चुका है। स्व0 श्रीमती धनोपकंवर द्वारा अपने जीवनकाल में वादी के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 13.7.1987 को निष्पादित करते हुए समस्त चल व अचल संपत्तियों को वादी के पक्ष में कर दिया। उक्त वसीयतनामे का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक ब्यावर के यहां दिनांक 14.7.1987 को हुआ। परंतु वादी द्वारा अपने समर्थन में पेश किए गए वसीयतनामा दिनांक 13.7.1987 में कहीं पर भी उक्त आराजीयात बाबत कोई वर्णन नहीं है कि वादी को उक्त आराजीयात का खातेदार/काश्तकार घोषित किया जा सके। चूंकि श्रीमती धनोपकंवर द्वारा अपने वसीयतनामें में वर्णित आराजीयात वादी के नाम निष्पादित की गई है परंतु उक्त आराजीयात में विवादित आराजीयात का कहीं कोई अंकन नहीं है। जिसके आधार पर वादी को स्व0 श्रीमती धनोपकंवर के उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्से का खातेदार/काश्तकार घोषित किया जा सके। क्यों कि वसीयतनामें में वर्णित आराजीयात व विवादित आराजीयात दोनों अलग है। इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई विधिक दस्तावेजात विवादित आराजीयात बाबत प्रस्तुत करने में वादी असफल रहा है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर व वादी को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक रूप से पारित किया है, जिसमें न्यायालय हाजा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 370/2022 (2022/826) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner